

## धर्मांतरण

### प्रलिस के ललल:

धर्मांतरण वरलधी कानून पारतल करने वाले राजु, धरु की सुवतंतरता पर संवैधानकल पुरावधान, संवधान का अनुच्छेद 21, संवधान के अनुच्छेद 14, 21, 25 ।

### मेनुस के ललल:

धर्मांतरण वरलधी कानून और संबधतल मुददे, संबधतल सरुवोचु नुयायालय के फेसले ।

## चरुा में कुुी?

हाल ही में [सरुवोचु नुयायालय](#) ने कुेंदुर से [जुबरन धरुमांतरण](#) के मुददे से नपलटने के ललल गंभीरतापुरुवक कदम उठाने को कहा है ।

## याचकल और नुयायालय का फैसला:

- इस याचकल में एक सुपुटीकरण की मांग की गई थी कल "धमकी देकर, धोखे से उपहार और सुदुरकल लाभों के माधुयम से धरुमांतरण संवधान के अनुच्छेद 14, 21, 25 का उल्लंघन माना जाना चाहलल ।
- दलील में कहा गया है कल वरुष 1977 में [2002 200220022002 20022 20022 20022222 2002222 20022222](#) में सरुवोचु नुयायालय ने कहा था: "यह धु्यान रखना हुगा कल अनुच्छेद 25 (1) पुरतुयेक नागरकल को 'अंतरातुमा की सुवतंतरता' की गारंटी देता है, न कल केवल एक वशेष धरु के अनुयायलुओं को और बदले में यह माना जाता है कल कलसल भी अनुय वुयकुतल को अपने धरु में पुरवलरतल करने का कोई सुलकल अधकलर नही है ।
- सरुवोचु नुयायालय ने याचकल पर सुनवाई करते हुप कुेंदुर और राजुुओं को इस तरह के धरुमांतरण की जाँच के ललल कुड़े कदम उठाने के नरुदेश देने को कहा ।
- नुयायालय ने कहा है कल [जुबरन धरुमांतरण बेहद खतरनाक है](#) और इससे देश की सुरकुषा व धरु एवं अंतरातुमा की सुवतंतरता पर असर पड़ सकता है ।
- ऐसा इसललल है कुुी कल यद कल कोई वुयकुतल जान-बुझकर कलसल अनुय वुयकुतल का धरुमांतरण करता है (जु कल उसके धरु के सदुधलतुओं को पुरसारतल करने के सदुधलतु के पुरतकुल है) तु यह देश के नागरकुुओं को पुरदतु अंतरातुमा की सुवतंतरता के अधकलर को कलमजुर करेगा ।

## धरुमांतरण:

- धरुमांतरण का तातुपुरु कलसल दुसरे धरु के बहषुिकार के कुरु में कलसल वशेष धारुमकल सुंपुरदाय के वशुवासुओं को अपनाना है ।
- इस पुरकार "धरुमांतरण" में कलसल सुंपुरदाय को कुुडकर दुसरे के साथ जुडना शामिल हुता है ।
  - उदाहरण के ललल ईसाई बैपटसुट से मेथुडसुट या कुैथुलकल में और मुसुलमल शललल से सुनुनी में ।
- कुुछ मामलुओं में धरुमांतरण "धारुमकल पहाचन के पुरवलरतन और वशेष अनुषुठानुओं के पुरवलरतन का पुरतुक हुता है" ।

## धरुमांतरण वरलधी कानुनुुं की आवशुयकता:

- धरुमांतरण कराने का अधकलर नही:
  - संवधान पुरतुयेक वुयकुतल को अपने धरु को मानने, आचरण करने और पुरचार करने का सुलकल अधकलर पुरदान करता है ।
    - धरुमांतरण के तहत वुयकुतल कलसल अनुय धरु वाले को अपने धरु में शामिल करने का पुरयास करता है ।
  - अंत:करण और धरु की सुवतंतरता के वुयकुतलगत अधकलर का वसुतार धरुमांतरण के सामुहकल अधकलर के अरुथ में नही कलल जा सकता है ।
  - धारुमकल सुवतंतरता का अधकलर धरुमांतरण करने वाले और पुरवलरतल हुने की मांग करने वाले वुयकुतल के ललल सुमान रूु से उपलबुध है ।
- कपटपुरुण ववलह:

- हाल के दलों में ऐसे कई उदाहरण सामने आए हैं जसिमेलोग अपने धर्म को छुपाकर या गलत तरीके से दूसरे धर्म के व्यक्तियों के साथ शादी करते हैं तथा शादी के बाद ऐसे दूसरे व्यक्तियों को अपने धर्म में परिवर्तित करने के लिये मजबूर करते हैं।
- सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियाँ:
  - हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने भी ऐसे मामलों का न्यायिक संज्ञान लिया है।
  - न्यायालय के अनुसार, इस तरह की घटनाएँ न केवल धर्मांतरित व्यक्तियों की धर्म की स्वतंत्रता का उल्लंघन करती हैं बल्कि हमारे समाज के धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने के भी खिलाफ हैं।

## भारत में धर्मांतरण वरिधी कानूनों की स्थिति:

- **संवैधानिक प्रावधान:** अनुच्छेद-25 के तहत भारतीय संविधान धर्म को मानने, प्रचार करने और अभ्यास करने की स्वतंत्रता की गारंटी देता है तथा सभी धर्म के लोगों को अपने धर्म के मामलों का प्रबंधन करने की अनुमति देता है, हालाँकि यह सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन है।
  - कोई भी व्यक्ति अपने धार्मिक विश्वासों को ज़बरन लागू नहीं करेगा और इस प्रकार व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध किसी भी धर्म का पालन करने के लिये मजबूर नहीं किया जाना चाहिये।
- **मौजूदा कानून:** धार्मिक रूपांतरणों को प्रतिबंधित या वनियमित करने वाला कोई केंद्रीय कानून नहीं है।
  - हालाँकि वर्ष 1954 के बाद से कई मौकों पर धार्मिक रूपांतरणों को वनियमित करने हेतु संसद में नज़ी वधियक पेश किये गए।
  - इसके अलावा वर्ष 2015 में केंद्रीय कानून मंत्रालय ने कहा था कि संसद के पास धर्मांतरण वरिधी कानून पारित करने की वधायी शक्ति नहीं है।
  - वर्षों से कई राज्यों ने बल, धोखाधड़ी या प्रलोभन द्वारा किये गए धार्मिक रूपांतरणों को प्रतिबंधित करने हेतु 'धार्मिक स्वतंत्रता' संबंधी कानून बनाए हैं।
- **वभिन्न राज्यों में धर्मांतरण वरिधी कानून:**
  - **पछिले कुछ वर्षों में कई राज्यों ने** बल, धोखाधड़ी या प्रलोभन द्वारा किये गए धर्म परिवर्तन को प्रतिबंधित करने के लिये 'धार्मिक स्वतंत्रता' कानून लागू किये हैं।
    - उड़ीसा धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम, 1967; गुजरात धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम, 2003; झारखंड धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम, 2017; उत्तराखंड धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम, 2018; कर्नाटक धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का संरक्षण अधिनियम, 2021।

## धर्मांतरण वरिधी कानूनों से संबद्ध मुद्दे:

- **अनश्चिति और अस्पष्ट शब्दावली:**
  - गलत बयानी, बल, धोखाधड़ी, प्रलोभन जैसी अनश्चिति और अस्पष्ट शब्दावली इसके दुरुपयोग हेतु एक गंभीर अवसर प्रस्तुत करती है।
  - यह काफी अधिक अस्पष्ट और व्यापक शब्दावली है, जो धार्मिक स्वतंत्रता के संरक्षण से परे भी कई वषियों को कवर करती है।
- **अल्पसंख्यकों का वरिध:**
  - एक अन्य मुद्दा यह है कि वर्तमान धर्मांतरण वरिधी कानून धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त करने हेतु धर्मांतरण के नषिध पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं।
  - हालाँकि धर्मांतरण नषिधात्मक कानून द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली व्यापक भाषा का इस्तेमाल अधिकारियों द्वारा अल्पसंख्यकों पर अत्याचार और भेदभाव करने के लिये किया जा सकता है।
- **धर्मनिरपेक्षता वरिधी:**
  - ये कानून भारत के धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने और हमारे समाज के आंतरिक मूल्यों व कानूनी व्यवस्था की अंतरराष्ट्रीय धारणा के लिये खतरा पैदा कर सकते हैं।

## आगे की राह

- ऐसे कानूनों को लागू करने के लिये सरकार को यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि वे किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को सीमित न करते हों और न ही इनसे राष्ट्रीय एकता को क्षति पहुँचती हो; ऐसे कानूनों के मामले में स्वतंत्रता एवं दुरभावनापूर्ण धर्मांतरण के मध्य संतुलन बनाना बहुत ही आवश्यक है।

## [स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस](https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/religious-conversion)